भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2754
05 अगस्त, 2025 को उत्तरार्थ

कृषि स्टार्ट-अप और कृषि उद्यमियों को सहायता

2754. श्री गोपाल जी ठाकुरः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत स्टार्ट-अप्स और कृषि-उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार का उन्हें प्रत्यक्ष साझा सहायता देकर विशेष ऋण और वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) प्रदान करके सहायता प्रदान करने का विचार है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (ग): जी हां, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत स्टार्ट-अप्स और कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए वर्ष 2018-19 से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (पीएम-आरकेवीवाई) के अंतर्गत "नवाचार एवं कृषि उद्यमिता विकास" कार्यक्रम का कार्यान्वयन कर रहा है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए 5 नॉलेज पार्टनर्स (केपी) और 24 आरकेवीवाई एग्रीबिजनेस इन्क्यूबेटर्स (आर-एबीआई), स्टार्टअप्स को प्रशिक्षण प्रदान करते हैं तथा उन्हें भविष्य के लिए तैयार करते हैं। इस कार्यक्रम के तहत, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के उद्यमियों/स्टार्टअप्स को अपने उत्पादों, सेवाओं, व्यावसायिक प्लेटफार्मों आदि को बाजार में लाने तथा उन्हें आगे बढ़ाने में सुविधा प्रदान करने के लिए आइडिया/प्री-सीड स्टेज में पूर्व 5 लाख रुपये तक और सीड स्टेज में 25 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अब तक, 1943 कृषि स्टार्टअप्स को 146.38 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जा चुकी है।

इसके अतिरिक्त, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) के अंतर्गत, राष्ट्रीय कृषि नवाचार कोष, आईसीएआर नेटवर्क संस्थानों में अपने **50** कृषि-व्यवसाय इनक्यूबेशन केंद्रों (एबीआईसी) के माध्यम से स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है। ये एबीआईसी, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कार्यरत स्टार्टअप्स और कृषि-उद्यमियों को तकनीकी सहायता प्रदान करते हैं।

सरकार द्वारा 'आत्मनिर्भर भारत' पहल के तहत, जुलाई 2020 में शुरू किए गए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) के माध्यम से, कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में लगे स्टार्ट-अप्स और कृषि उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए ठोस कदम उठाए गए हैं। एआईएफ योजना में 1 लाख करोड़ रुपये का वित्तीय परिव्यय शामिल है, जिसका उद्देश्य देश भर में विकेन्द्रीकृत तरीके से फसल-उपरांत प्रबंधन इंफ्रास्ट्रक्चर और व्यवहार्य कृषि परिसंपत्तियों की स्थापना के लिए विभिन्न ऋण संस्थानों के माध्यम से, मध्यम से दीर्घकालिक किफायती ऋण की सुविधा प्रदान करना है। यह योजना, विशेष रूप से कृषि में नवाचार और प्रौद्योगिकी-संचालित समाधानों को बढ़ावा देने की परिकल्पना करती है। एआईएफ, 2 करोड़ रुपये तक के ऋण पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज सहायता के साथ 9% की अधिकतम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करती है, जो अधिकतम 7 वर्षों के लिए उपलब्ध है। 30 जून 2025 तक, कुल 47,962 कृषि उद्यमियों को 48,330 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया जा चुका है, जबकि 2303 स्टार्ट-अप्स को विभिन्न बैंकों तथा अन्य ऋण देने वाले संस्थानों के माध्यम से 2,182 करोड़ रुपये तक का ऋण प्रदान किया जा चुका है।

सरकार द्वारा सेबी-पंजीकृत श्रेणी-II वैकल्पिक निवेश कोष (एआईएफ) बनाया गया है, जिसका नाम स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों के लिए कृषि कोष (एग्रीश्योर) है। इसे 3 सितंबर, 2024 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य इक्विटी और ऋण में पूंजी सहायता प्रदान कर, शुरुआती चरण के कृषि स्टार्टअप्स और ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान करना है। इसके विशिष्ट उद्देश्यों में नवाचार को बढ़ावा देना, उच्च जोखिम और उच्च प्रभाव वाली गतिविधियों को बढ़ावा देना और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सटीक खेती, जलवायु-अनुकूल पद्धतियां और डिजिटल कृषि जैसी तकनीकों को कृषि क्षेत्र में शामिल करना है। यह कोष किसानों की बाजार पहुंच में सुधार और ग्रामीण रोजगार के अवसर भी पैदा करता है। कुल 750 करोड़ रुपये के कोष के साथ, एग्रीश्योर फंड, मिश्रित प्रकृति का है तथा इसे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा प्रत्येक के 250 करोड़ रुपये के योगदान के साथ संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है। एक अतिरिक्त 250 करोड़ रुपये का फंड, निजी संस्थाओं सहित अन्य वित्तीय संस्थाओं से जुटाया जाएगा। वर्तमान में इस फंड का रखरखाव, नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी, नैबवेंचर्स (एनएबीवीईएनटीयूआरई) द्वारा किया जाता है।

*****